321

4 MAY 2011

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

C 872411



(प्रारुप-एक के वार्ड क्र. 05 स. क्र. 55 में स्थित)

स्वास्तिक नगर कालोनी, ग्राम इटावा तह. व जिला देवास में स्थित

प्लाट क्र. 202 साईज - उत्तर-दक्षिण : 7.50 मीटर, पूर्व-पश्चिम : 15 मीटर

कुल प्लाट एरिया **112.50 वर्गमीटर (1210.50 वर्गफीट)** का बिक्रीखत।

प्लाट का बिक्री मूल्य रु. **1,70,000/- (रु. एक लाख सत्तर हजार) मात्र**

प्लाट का बाजार मूल्य रु. **1,70,000/- (रु. एक लाख सत्तर हजार) मात्र**

स्टाम्प शुल्क	:	रु.	8,500.00
नगर निगम ड्युटी	:	रु.	1,700.00
ब्लॉक ड्युटी	:	रु.	1,700.00
उपकर	:	रु.	430.00
कुल स्टाम्प ड्युटी	:	रु.	12,330.00

For M/s. Shiv Shakti Land & Finance

Partner

निरंतर..... 2 पर

POS YAMA

9849

=4 MAY 2011 ~~श्री लियाकतहुसैन पिता मोहम्मद हुसैन~~

~~मेसर्स शिवशक्ति लेण्ड डेवलपमेंट कंपनी~~
~~के एक डायरेक्टर रविशंकर~~

जिला कोषालय मुद्रांक शाखा
29 APR 2011
सहायक कोषालय अधिकारी
मुद्रांक शाखा देवास (म. प्र.)

ज्ञानेन्द्र बालमुकुन्द दुबे
स्टाम्प वेण्डर
कलेक्ट्रेट कार्यालय, देवास(म.प्र.)

A) स्टाम्प एक्ट की धारा	~~8500~~ —	10125=00
B) पंजीयन शुल्क	~~1700~~ —	2025=00
C) मकान या अन्य निर्माण शुल्क	~~1700~~ —	2025=00
D) [illegible] शुल्क	~~430~~ —	507=00
E) अतिरिक्त शुल्क		18=00
F) अधिक राशि हो तो		
	~~12330~~	14700=00

उप-पंजीयक,
देवास(म.प्र.)

लियाकत हुसैन / मोहम्मद हुसैन

द्वारा उप जिला देवास जिला
देवास के उप पंजीयक के कार्यालय
में साराश
- 4 MAY 2011
2/05 वर्ष
प्रस्तुत किया गया।

उप-पंजीयक,
देवास(म.प्र.)

For M/s. Shiv Shakti Land & Finance



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

C 872412

बिक्रीखत लिख देने वालेः-

मेसर्स शिवशक्ति लेण्ड एण्ड फायनेंस, 54, शालिनी रोड़, देवास
तर्फे भागीदार - राकेश कुमार पिता श्री रमेशकुमारजी अग्रवाल,
उम्र 39 वर्ष, धंधा व्यापार, निवासी 54, शालिनी रोड़, देवास (म.प्र.)

बिक्रीखत लिखा लेने वालेः-

लियाकत हुसैन पिता श्री मोहम्मद हुसैन
उम्र - 54 वर्ष, व्यवसाय - नौकरी
निवासी - 38/2, मोती बंगला कालोनी, देवास (म.प्र.)

बिक्रीशुदा प्लाट का विवरणः-

स्वास्तिक नगर कालोनी ग्राम इटावा तह. देवास का

प्लाट क्रमांक - **202**

साईजः -	पूर्व - पश्चिम	:	15 मीटर
	उत्तर - दक्षिण	:	7.50 मीटर
	कुल प्लाट एरिया	:	112.50 वर्गमीटर (1210.50 वर्गफीट)
चर्तुःसीमा-	पूर्व को	:	कालोनी रोड़.
	पश्चिम को	:	कालोनी रोड़
	उत्तर को	:	प्लाट नं. 201.
	दक्षिण को	:	प्लाट नं. 203.

For M/s. Shiv Shakti Land & Finance

Partner

निरंतर.... 3 पर

7842

4 MAY 2011

यह स्टॉम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकित विवरण के साथ संलग्न है।

सहायक कोषालय सुरक्षक शाखा

29 APR 2011

सहायक कोषालय अधिकारी
देवास (म.प्र.)

For M/s. Shiv Shakti Land & Finance

Partner

राकेश कुमार / रमेश कुमार अग्रवाल

64 मालिनी रोड देवास

स्वयं से व्यक्तियों एवं से वादग्रस्त है स्वामित्व करते हैं कि उक्त अचल विक्री विक्रेय का विक्रयपत्र लिखा जाना तय हुआ और रजिस्ट्री के पूर्व दिनांक 4/5 170000 एक लाख सत्तर हजार मात्र ..... पर हैं तय हुए ..... उसी दिन उक्त अचल संपत्ति का कब्जा विक्रेय अचल संपत्ति के संबंध में कोई वाद लंबित नहीं है। यह सही है। यदि उक्त संपत्ति के बाद प्राप्त होगी। आज तारीख .....

1. रमेश कुमार / जीतमल अग्रवाल
मालिनी रोड देवास

2. अजय / रमेश चन्द्र जैन
शुजाती नगर देवास

का जाकर पूर्वोक्त विक्रयपत्र / विक्रयपत्रों की विक्रेता के विरुद्ध में की गई है।
दिनांक 4 MAY 2011

उप-पंजीयक,
देवास (म.प्र.)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 806463

//03//

स्वास्तिक नगर का नक्शा संलग्न है, जिसमें उक्त प्लाट ***लाल निशान*** से बताया गया है, जो कि बिक्रीखत का अंग माना जावेगा। उक्त प्लाट आवासीय प्रयोजन हेतु विक्रय किया गया है।

बिक्रीशुदा प्लाट का विक्रय मूल्य रुपया **1,70,000/- (रु. एक लाख सत्तर हजार) मात्र** होकर उक्त राशि विक्रेता ने क्रेता से **परभारे** प्राप्त कर लिये है, अब इस विक्रय पेटे कोई राशि लेना शेष नहीं रही है।

यह विक्रय पत्र फर्म मेसर्स शिवशक्ति लेण्ड एण्ड फायनेंस देवास के भागीदार की हैसियत से निम्नानुसार शर्तो के अधीन दो साक्षीगण के समक्ष साक्ष्यांकित किया जाकर सम्पादित किया जा रहा है:-

यह कि यह फर्म विधिवत रजिस्टर्ड क्रमांक 384 द्वारा रजिस्टर्ड है। ग्राम इटावा तहसील देवास में स्थित भूमि पर विधिवत फर्म का नामांतरण होकर यह भूमि श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय देवास द्वारा कृषि भिन्न आशय में परिवर्तित की गई है। इस भूमि पर ***''स्वास्तिक नगर कालोनी''*** के नाम से भूखण्ड निकाले गये है। इस कालोनी का मानचित्र नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत है एवं नगर पालिक निगम द्वारा विकास कार्य की अनुमति दी गई है।

यह कि स्वास्तिक नगर कालोनी में स्थित प्लाट क्रमांक **202** उक्त विवरण में बताया गया आपको बिक्री कर दिया है व कीमत के चुकते रुपये आप क्रेता से उपर दर्शाये अनुसार प्राप्त कर लिये है, कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है। बिक्रीशुदा प्लाट की हदहदुद आप क्रेता को मौके पर बतलाकर कब्जा भी आपको दे दिया है। अब मेरा इस प्लाट पर कुछ भी स्वत्व नहीं रहा है, आज से समस्त मालकी स्वत्व आपको प्राप्त हो गये है।

For M/s. Shiv Shakti Land & Finance

Partner

निरंतर.... 4 पर

9892

4 MAY 2011

यह स्टॉम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकित विवरण के साथ संलग्न है।

जिला कोषालय कार्यालय भण्डारा

29 APR



गोनेन्द्र बालमुकुन्द दुबे
स्टाम्प वेण्डर
कोषालय कार्यालय, देवास(म.प्र.)

उदघोषक निष्पादक / पालक / अधिकृत
--- गोनेन्द्र बालमुकुन्द दुबे
का निशान अंगूठा लगाया कि..... 4 MAY 2011
को किया गया।

उप-पंजीयक,
देवास (म.प्र.)





उदघोषक निष्पादक / पालक / अधिकृत
--- राकेश कुमार
का निशान अंगूठा लगाया कि..... 4 MAY 2011
को किया गया।

उप-पंजीयक,
देवास (म.प्र.)





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 806464

यह कि यह प्लाट नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा आवासीय निर्माण के लिये स्वीकृत है सबब इस प्लाट पर निर्माण कार्य करने के पूर्व विधिवत अनुमति लेकर ही आपने निर्माण कार्य करना।

यह कि उक्त प्लाट पर आप निशान या फेन्सिंग करा लेवे यदि आज के बाद पड़ौसी या अन्य किसी के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उसमें विक्रेता पक्ष की किसी प्रकार की जवाबदारी नहीं रहेगी। क्रेता पक्ष व विक्रेता पक्ष के बीच इस प्लाट संबंधी जो अनुबंध हुआ है, उसका पालन क्रेता पक्ष को करना होगा व आपने कभी यह प्लाट किसी अन्य को बिक्री या हस्तांतरण किया तो उस पर भी अनुबंध की शर्ते बंधनकारक रहेगी।

यह कि उक्त प्लाट का शासकीय, अर्द्ध शासकीय संस्था, स्थानीय प्रशासन या अन्य शासकीय वर्तमान व भविष्य में लगाये गये कर, टेक्सेस वार्षिक भू-भाटक या अन्य धनराशि चुकाने का दायित्व आप क्रेता पर होगा, यदि इसके फलस्वरुप कोई देय विक्रेता को करना पड़ा तो क्रेता द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति करना होगी व ऐसे चुकारे का भार उक्त प्लाट या उस पर निर्मित भवन पर रहेगा।

यह कि अब आपने बिक्रीशुदा प्लाट पर आपका नामांतरण नगर पालिक निगम, राजस्व विभाग व अन्य शासकीय विभागों में मालिक नाते दर्ज करा लेना जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। क्रेता पक्ष अपने स्वयं के व्यय से नगर निगम से नल कनेक्शन प्राप्त करेगा।

यह कि आज अंतरित की जा रही प्रश्नाधीन सम्पत्ति को मुझ विक्रेता द्वारा अथवा विक्रेता के प्रतिनिधि या समनुदेशिती या उसके अभिकर्ता (ऐजेन्ट) के द्वारा आज दिनां तक किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा पूर्व में हस्तांतरित या अस्थाई रुप से अन्य संक्रांत नहीं किया गया है अर्थात इस अंतरण से पंजीयन अधिनियम की धारा 22(क) का उल्लंघन नहीं होता है।

निरंतर..... 5 पर

For M/s. Shiv Shakti Land & Finance

Partner

9828

4 MAY 2011

यह स्टॉम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकित विवरण के साथ संलग्न है।

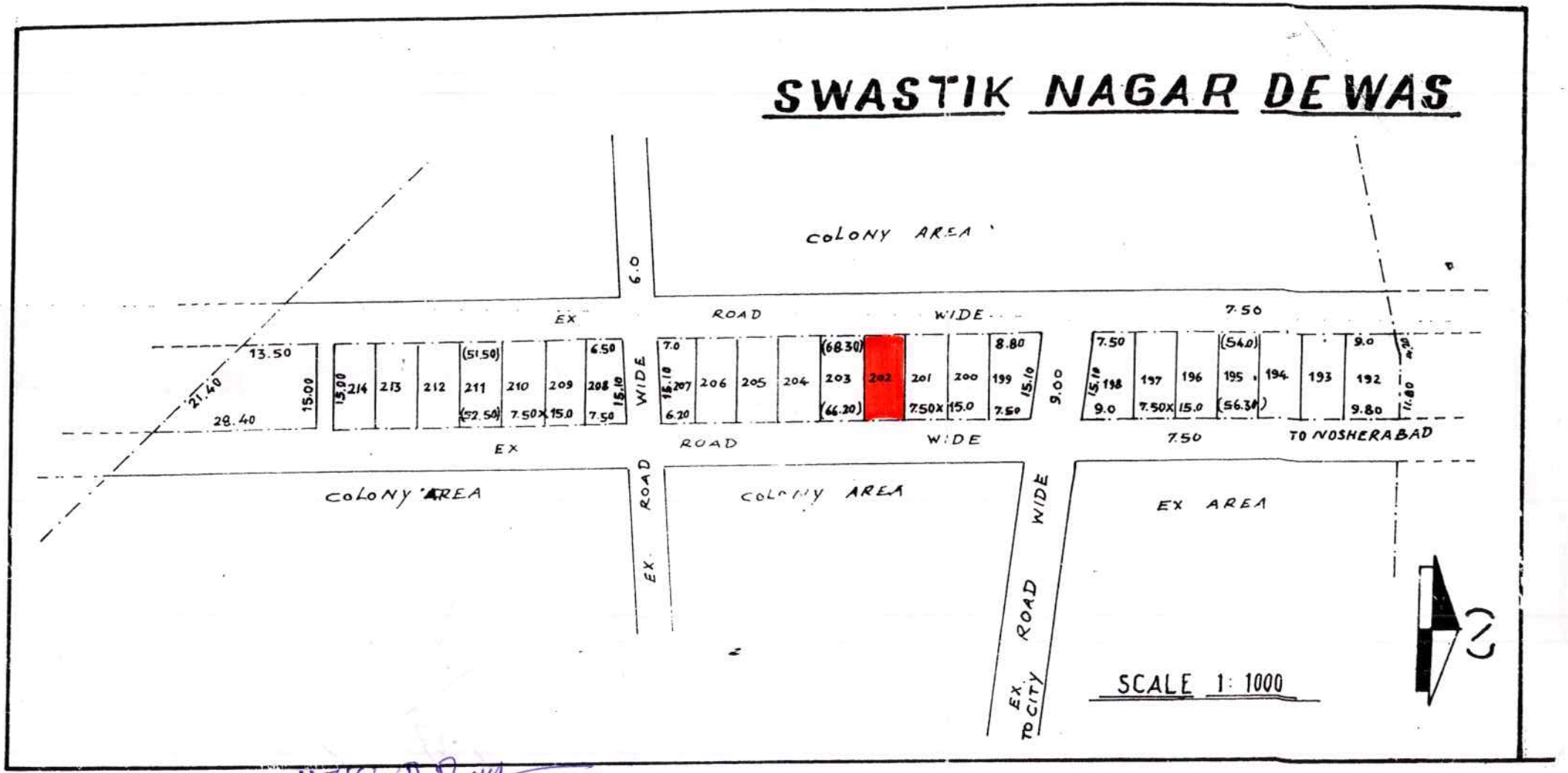
जिला कोषालय मुद्रांक शाखा

29 APR 2011

सहायक कोषालय अधिकारी
मुद्रांक शाखा देवास (म.प्र.)

ज्ञानेन्द्र बालमुकुन्द दुबे
स्टाम्प वेण्डर
कलेक्टोरेट कार्यालय, देवास(म.प्र.)

SWASTIK NAGAR DEWAS



NOTE:- (1) Rules

(2)





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 806465

//05//

लिहाजा यह बिक्रीखत आज मुझ विक्रेता ने क्रेता पक्ष के हित में सम्पादित कर दिया सो सही, वक्त जरुरत काम आवे।

इति दिनांक 04.05.2011

गवाहः-

1. हस्ताक्षर.....
नाम : रमेश कुमार जीतमलजी अग्रवाल
पता : शालिनी रोड़, देवास (म.प्र.)

2. हस्ताक्षर.....
नाम : अजय रमेशचन्द्रजी जैन
पता : 232, मुखर्जी नगर, देवास (म.प्र.)

विक्रेता

मे.शिवशक्ति लेण्ड एण्ड फायनेंस द्वारा भागीदार
राकेश कुमार पिता श्री रमेश कुमार अग्रवाल

क्रेता

.....

मेरे कार्यालय में मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया।

दिलीप कुमार अग्रवाल
एडव्होकेट, देवास
Mob. 98275-34284

9848

04 MAY 2011

यह स्टॉम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकित
विवरण के साथ संलग्न है।

जिला कोषालय मुद्रांक शाखा

29 APR 2011

सहायक कोषालय अधिकारी
मुद्रांक शाखा देवास (म. प्र.)

ज्ञानेन्द्र बालमुकुन्द दुबे
स्टाम्प वेण्डर
कलेक्टोरेट कार्यालय, देवास(म.प्र.)
Mob. 98270 45338 09893702777

ज्ञानेन्द्र बालमुकुन्द दुबे
स्टाम्प वेण्डर
कलेक्टोरेट कार्यालय, देवास(म.प्र.)
Mob. 98270-45338

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 766860

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकित
विवरण के साथ संलग्न है।

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकित
विवरण के साथ संलग्न है।

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकित
विवरण के साथ संलग्न है।

9826

-4 MAY 2011

यह स्टॉम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकित
विवरण के साथ संलग्न है।

जिला कोषालय देवास के साक्ष्य

29 APR 2011

सहायक कोषालय अधिकारी
मुद्रांक शाखा देवास (म. प्र.)

गोविन्द बालमुकुन्द दुबे
स्टाम्प वेण्डर
कलेक्टोरेट कार्यालय, देवास(म.प्र.)
[illegible]

1/321

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 766861

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकित
विवरण के साथ संलग्न है।

1826

-4 MAY 2011

यह स्टॉम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकित
विवरण के साथ संलग्न है।

जिला कोषालय मुद्रांक शाखा

29 APR 2011

सहायक कोषालय अधिकारी
मुद्रांक शाखा देवास (म. प्र.)

ज्ञानेन्द्र बालमुकुन्द दुबे
स्टाम्प वेण्डर
कलेक्टोरेट कार्यालय, देवास(म.प्र.)
लाईसेंस नं. 45138 9993708777

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 766862

984

-4 MAY 2011

यह स्टॉम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकित
विवरण के साथ संलग्न है।

29 APR 2011

ज्ञानेन्द्र बालमुकुन्द दुबे
स्टाम्प वेण्डर
कलेक्टोरेट कार्यालय, देवास(म.प्र.)
[illegible] 45338 [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

K 787164

9828

04 MAY 2011

यह स्टॉम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकित
विवरण के साथ संलग्न है।

ज्ञानेन्द्र बालमुकुन्द दुबे
स्टाम्प वेण्डर
कलेक्ट्रेट कार्यालय, देवास(म.प्र.)
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

K 787165

9860

- 4 MAY 2011

यह स्टॉम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकित
विवरण के साथ संलग्न है।

7000/-

नरेन्द्र बालमुकुन्द पुरी
स्टाम्प वेण्डर
अधिकृत कार्यालय, देवास(म.प्र.)

दस्तावेज में काट-छांट नहीं है।
पृष्ठ क्रमांक .....
पंक्ति क्रमांक .....
जो काट-छांट की गई है वो
विक्रेता द्वारा प्रमाणित है।

उप-पंजीयक,
देवास(म.प्र.)

- 4 MAY 2011

आज दिनांक .....
की पुस्तक क्रमांक 1
वर्ष 2020 के 6 पृष्ठ
45150 पर क्रमांक 321
पर पंजीबद्ध किया गया।

उप-पंजीयक,
देवास(म.प्र.)

मुद्रांक शुल्क .....
पंजीयन शुल्क .....
प्रतिलिपि शुल्क 1765
अतिरिक्त शुल्क 25
वन्य शुल्क .....
1790

.....मुल्य के इस दस्तावेज
में पक्षकार ने
रुपये 170000/-
जो
पावती
स्वीकार
अन्य
स्टाम्प
अदा
"च"
उपलब्ध

202500
2370/-

- 4 MAY 2011

उप-पंजीयक
देवास(म.प्र.)

हस्ताक्षर
पक्षकार

उप-पंजीयक
देवास

1992

20 JAN 2014

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

M 879513

शहर देवास स्थित वार्ड क्रं. 05 का अनु. क्रं. में स्थित स्वास्तिक नगर

कालोनी देवास में स्थित प्लाट नं. 202 का

//बिक्रीखत//

प्लाट का विक्रय मूल्य रूपये 5,62,500/- (रूपये पॉच लाख बासठ हजार पॉच सौ रूपये मात्र)

प्लाट का विक्रय मूल्य रूपये 5,62,500/- (रूपये पॉच लाख बासठ हजार पॉच सौ रूपये मात्र)

स्टाम्प डयूटी	-	28,125/-
नगर निगम डयूटी	-	5,625/-
ब्लॉक डयूटी	-	5,625/-
उपकर	-	1410/-
कुल स्टाम्प रूपये		40,785/-

.....2

11857

① 500/1 20/5 50/4 20000/2 = 40800

विक्रेता

20 JAN 2014

किसानपुत्र पिता मो-हुसैन
नि- मोतीगंगला देवास
क्रेता

इमरान पिता भुरेखान
नि- नाहर दरवाजा देवास
खरीदार

Hemant Modi



गोरधन देसाई
स्टॉम्प विक्रेता कोड नं. 37
कलेक्ट्रेट परिसर देवास (म.प्र.)

1) स्टाम्प एक्ट के तहत ... 28125-
2) पंचायत शुल्क ... 5625-
3) नगर पालिका निगम शुल्क 5625-
4) उपकर शुल्क ... 1410-
5) अतिरिक्त शुल्क ...
6) अंकित यदि हो तो ... 15

40800

उप-पंजीयक
देवास (म.प्र.)

इमरान S/o भुरेखान

उप पंजीयक देवास Registrar Dis

द्वारा उप जिला रजिस्ट्रार जिला देवास के उप पंजीयक के कार्यालय में दिनांक 20 JAN 2014 को प्रस्तुत किया गया।

उप-पंजीयक
देवास (म.प्र.)

इमरान



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 17AA 253718

विक्रेताः- लियाकत पिता मोहम्मद हुसैन आयु 56 वर्ष निवासी 38/2 मोती बंगला कालोनी देवास म.प्र.

क्रेताः- इमरान पिता भुरे खान आयु 27 वर्ष निवासी 39/2 नाहर दरवाजा देवास म.प्र.

जिन्हें आगे ''विक्रेता'' एवं ''क्रेता'' के नाम से सम्बोधित किया गया है, इसमें इनके वारिसान हितग्राही तथा असाईनिंग का भी समावेश है एवं निष्पादक क्रेता के पक्ष में निष्पादित कर देते हैः-

बिक्रीशुदा प्लाट का विवरण :-

बिक्रीशुदा प्लाट शहर देवास में स्थित स्वास्तिक नगर देवास म.प्र. के प्लाट नं.202 जिसकी साईज एवं चतुःसीमा निम्नानुसार हैः-

साईज :-

पूर्व - पश्चिम - 15,.00 मीटर
उत्तर - दक्षिण - 7.50 मीटर

कुल प्लाट एरिया 112.50 वर्गमीटर (1210.50 वर्गफीट)है

11858

20 JAN 2014

(2)

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत
विवरण के साथ है।

1. अभाकत S/o मोहम्मद हुसैन
जी 38/2 मोती कॉलोनी
देवास

गोरधनदास पाई
स्टॉम्प विक्रेता कोड नं. 37
कलेक्ट्रेट परिसर, देवास (म.प्र.)

स्पष्ट में व्यक्त्या पर से [illegible] स्वीकार
करते है कि यथा वर्णित ... विक्री ...
विक्रेय का [illegible] किया [illegible] और प्रतिफल
के पूर्ण/अंशत: ... 562500/- पांच लाख बासठ
[illegible] हजार पांचसौ
[illegible] रुपए है
तथा [illegible]
[illegible] गए थे और
[illegible]
[illegible] होगी।

2. संजय S/o वीनाराम अग्रवाल
जवाहरलाल नगर - देवास

3. पप्पू S/o लालजीराम
जवाहरलाल नगर
देवास

उक्त पूर्वोक्त विक्रयादेश / बयानदर्ज
की विधिवत के विषय में की गई है।
दिनांक 20 JAN 2014
उप-पंजीयक
देवास



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 17AA 253719

चतुःसीमाः-

पूर्व को	-	कालोनी रोड
पश्चिम को	-	कालोनी रोड
उत्तर को	-	प्लाट नं. 201
दक्षिण को	-	प्लाट नं. 203

यह कि उक्त प्लाट कार्नर का नहीं है।

विक्रय प्रतिफलः-

उपरोक्त वर्णित प्लाट विक्रेता ने क्रेता पक्ष को रूपये 5,62,500/- (रूपये पॉच लाख बासठ हजार पॉच सौ रुपये) में विक्रय कर दिया है, तथा कीमत की संपूर्ण राशि विक्रेता ने क्रेता से परभारे नगद प्राप्त कर ली है। उक्त वर्णित संपत्ति पेटे कोई राशि लेना देना बकाया नही है।

बिक्रीशुदा सम्पत्ति की पूर्व पृष्टिभूमिः-

यह कि, उपरोक्त वर्णित प्लाट को विक्रेता ने मेसर्स शिवशक्ति लेण्ड एण्ड फायंनेस कम्पनी तर्फे भागीदार राकेश पिता रमेश अग्रवाल निवासी देवास म.प्र से जर्ये रजिस्टर्ड बिक्रीखत क्रमांक 321 दिनांक 04.05.2011 को क्रय किया गया होकर उक्त प्लाट को विक्रेता ने आज दिनांक को क्रेता को सदा के लिये क्रेता को विक्रय कर दिया है।

11859

20 JAN 2014

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत विवरण के साथ है।



जगदीश विश्वकर्मा के बंधुवा
ज विवाद मेरे समक्ष दि 20 JAN 2014
के लिए गया।

उप-संचालक,
देवास (म.प्र.)



गोरधन दे पाडे
स्टॉम्प विक्रेता कोड नं. 37
कलेक्ट्रेट प्रांगण, देवास (म.प्र.)



जगदीश विश्वादक / पालक / संरक्षक
इमरान के बंधुवा
ज विवाद मेरे समक्ष दि 20 JAN 2014
को लिए गया।

उप-संचालक,
देवास (म.प्र.)









मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 17AA 253720

बिक्रीखत के अन्य नियम व शर्तेः-

यह कि आज अंतरित की जा रही प्रश्नाधीन सम्पत्ति को मेरे द्वारा अथवा मेरे किसी प्रतिनिधि या समनुदेशिती या उसके अभिकर्ता (एजेंट) के द्वारा आज दिनांक तक किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा पूर्व में ही हस्तांतरित या स्थायी रुप से अन्यसंक्रांत नहीं करा गया है अर्थात् इस अंतरण से पंजीयन अधिनियम की धारा 22-क का उल्लघंन नही होता है।

यह इस लेख में जिन्हे ''क्रेतापक्ष'' एवं ''विक्रेतापक्ष'' के नाम से सम्बोधित किया है, इस सम्बोधन में यह दोनो पक्ष स्वयं, इनके समस्त वारसान, हितग्राही, वैध प्रतिनिधि, आम मुख्त्यार, असाईनिंग एवं निष्पादक आदि सम्मिलित है तथा विक्रेता, क्रेता के हित में यह विक्रय पत्र लिखता है।

यह कि विक्रेता पक्ष के स्वामित्व एवं आधिपत्य का प्लाट होने से वैधानिक मालिक एवं स्वामी होने के कारण इस सम्पत्ति को कही भी विक्रय करने या दान, बक्षीस या गिरवी रखने का पूर्ण अधिकार होने से आज दिनांक को अपनी वर्णित सम्पत्ति का विक्रय कर दिया है।

यह कि, उक्त संपत्ति पर आज दिनांक तक जो-जो भी मालकी स्वत्व विक्रेता को प्राप्त थे वह कुल स्वत्व आज से क्रेता पक्ष को मालिक के रुप में प्राप्त हो गये है, अब क्रेतापक्ष इसका उपयोग एवं उपभोग वैधानिक रुप से मालिक की हैसियत से करने का पूर्ण रुप से अधिकारी है।

11860

20 JAN 2014

(5)

यह [illegible] प्रथम पृष्ठ पर अंकित है।
विवरण के साथ

गो. [illegible] के पाई
स्टॉम्प विक्रेता कोड नं. 37
कलेक्टोरेट प्रांगण, देवास (म.प्र.)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 17AA 253721

यह कि सदर संपत्ति शासकीय पटटे एवं नजूल पटटे की नही है। यह कि सदर संपत्ति म.प्र. भू-रा.सं. सन 1959 की धारा 165 व सिलिंग एक्ट की बाधा मे नही आती है।

यदि विक्रेता के अधिकार दोष के कारण बिक्रीत सम्पत्ति का अधिकार क्रेतापक्ष के पास से चला जाता है तो क्रेतापक्ष को यह कानूनी अधिकार होगा कि वह विक्रता को दी गई कुल राशि मय हर्जे-खर्चे के विक्रेता से प्राप्त करें।

यह कि सदर संपत्ति के इस विक्रय का सम्पादन विक्रेता के परिवार की पूर्ण सहमति से किया गया है, भविष्य में विक्रेता एवं विक्रेता के परिवार के किसी भी सदस्य या वारिसान को एवं उत्तराधिकारी को किसी भी प्रकार की आपत्ति नही रहेगी। विक्रेता के द्वारा किया गया यह सम्पादन अपना अधिकार संबंधी विवाद उठता है या झगड़ा करता है तो उसे निपटाने की एवं हर्जे-खर्चे की पूर्ण जवाबदारी विक्रेता की ही होगी।

यह कि सदर सम्पत्ति पर किसी दूसरे का भार-बोझ या स्वत्व नही है व किसी बैंक, सोसायटी का कोई कर्ज बकाया नही है। यदि किसी भी बैंक, सोसायटी का कर्ज निकलता है तो उसे निपटाने की समस्त जवाबदारी विक्रेता पक्ष की ही रहेगी, क्रेता पक्ष को खर्च में नही पड़ने दिया जायेगा।

यह कि सदर संपत्ति के पेटे आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय कर या बिल, बकाया नही है। यदि किसी प्रकार का कोई बिजली

....6

11861

20 JAN 2014

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत है।
अ के साथ

गोरधन के पास
स्टॉम्प विक्रेता कोड नं. 37
कलेक्टोरेट प्रांगण, देवास (म.प्र.)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 17AA 253722

बिल , संपत्तिकर, जलकर बकाया पाया जाता है तो विक्रेता पक्ष के द्वारा स्वयं भरा जाएगा। आज दिनांक के बाद भी समस्त करो एवं बिलो की पूर्ण जवाबदारी क्रेता पक्ष की रहेगी।

उभयपक्ष ने इस विक्रय पत्र में लिखे समस्त कथनों को गंभीरता पूर्वक स्वयं अध्ययन कर पढकर एवं समझकर स्वीकार करते हुए अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते हुए पूरे होश हवास में स्वस्थ चित से दो उल्लेखित गवाहों के समक्ष उन्हें पढाकर सुनाकर एवं समझकर गवाह करवाते हुए आज बिना दबाव के राजी खुशी से विक्रय कर सम्पादित एवं हस्ताक्षरित किया है जो वैधानिक रूप से जरूरत पडने पर काम आवे।

देवास दिनांक 20.01.2014 विक्रेता पक्ष

गवाह :

...

1. हस्ताक्षर .....
   नाम .....
   पता .....

2. हस्ताक्षर .....
   .....
   नाम .....
   पता .....

क्रेता पक्ष

.....

उक्त दस्तावेज उभयपक्षो के बताये अनुसार मेरे कार्यालय में मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया है।

11862

20 JAN 2014

(C)

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकित
विवरण के साथ है।

दस्तावेज में काट-छांट नहीं है।
पृष्ठ क्रमांक.....
संलिप्त क्रमांक.....
काट-छांट की गई है जो
विक्रयादक द्वारा प्रमाणित है।

उप-पंजीयक
देवास (म.प्र.)

गोरधन देपाई
स्टॉम्प विक्रेता कोड नं. 37
कलेक्टोरेट प्रांगण, देवास (म.प्र.

20 JAN 2014

जो पुस्तक क्रमांक 1 2 1
अन्य 9808 के 6 पृष्ठ
22/32 पर क्रमांक 1992
पंजीबद्ध किया गया।

उप-पंजीयक,
देवास (म. प्र.)

मुद्रांक शुल्क.....
पंजीयन शुल्क.....
अतिलिपि शुल्क 4645=
अतिरिक्त शुल्क 30=
1
अन्य शुल्क.....
4675=

उप-पंजीयक,
देवास (म.प्र.)

20 JAN 2014



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

W 346513

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत
विवरण के साथ है।

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत
विवरण के साथ है।

11863

(7)

20 JAN 2014

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत
विवरण के साथ है।

गोरखराज प्राईं
स्टॉम्प विक्रेता लाईसेंस नं. 37
कलेक्टोरेट प्रांगण, देवास (म.प्र.



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

W 346514

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत
विवरण के साथ है।

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत
विवरण के साथ है।

11864

20 JAN 2014

(8)

यह दि. न्या प्रथम पृष्ठ पर अंकित
विवरण के साथ है।

गौरव पाई
एडवोकेट
चैम्बर नं. 37
कलेक्ट्रेट प्रांगण देवास (म.प्र.)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

W 346515

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत है।
विवरण के साथ

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत है।
विवरण के साथ

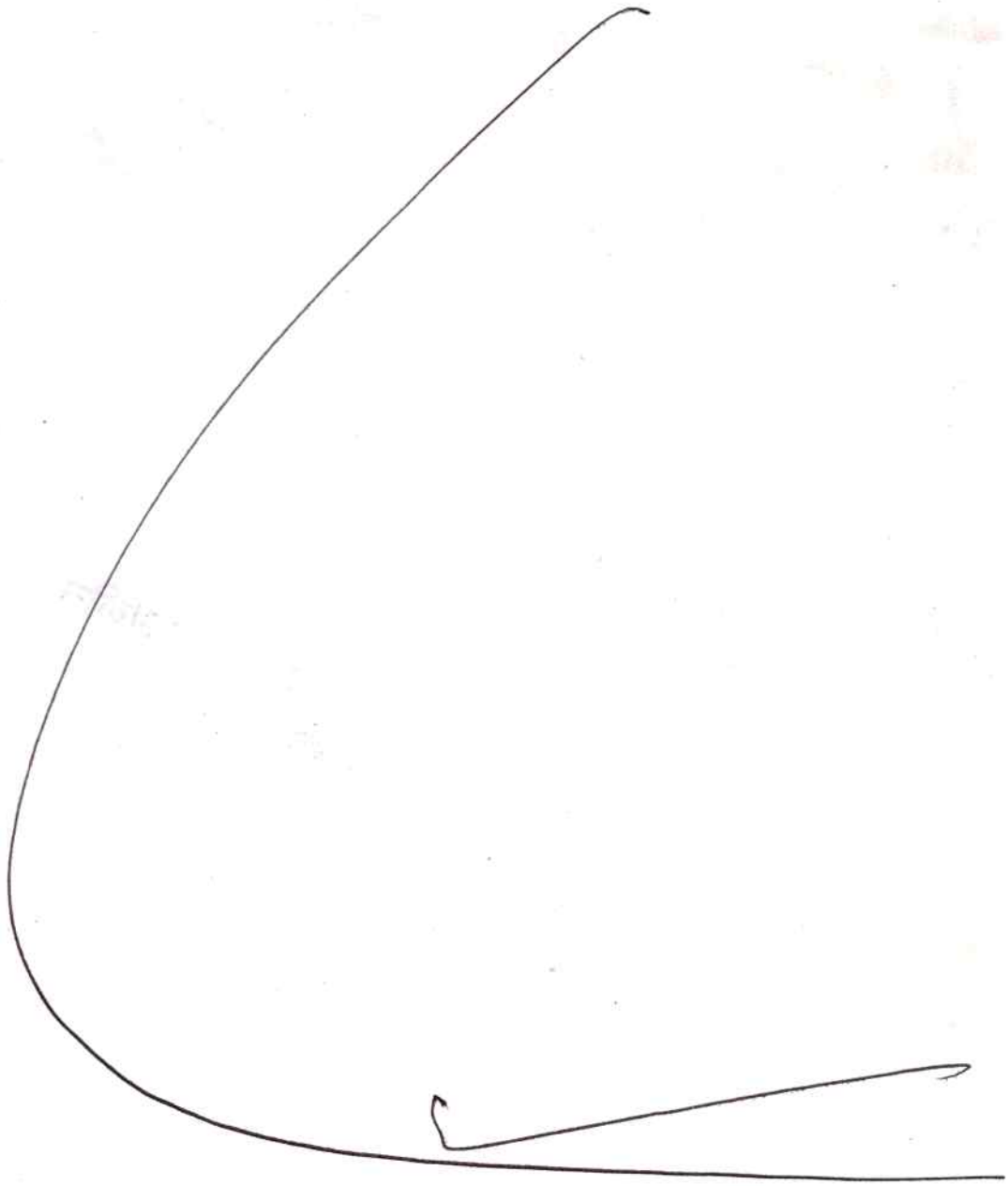
11865

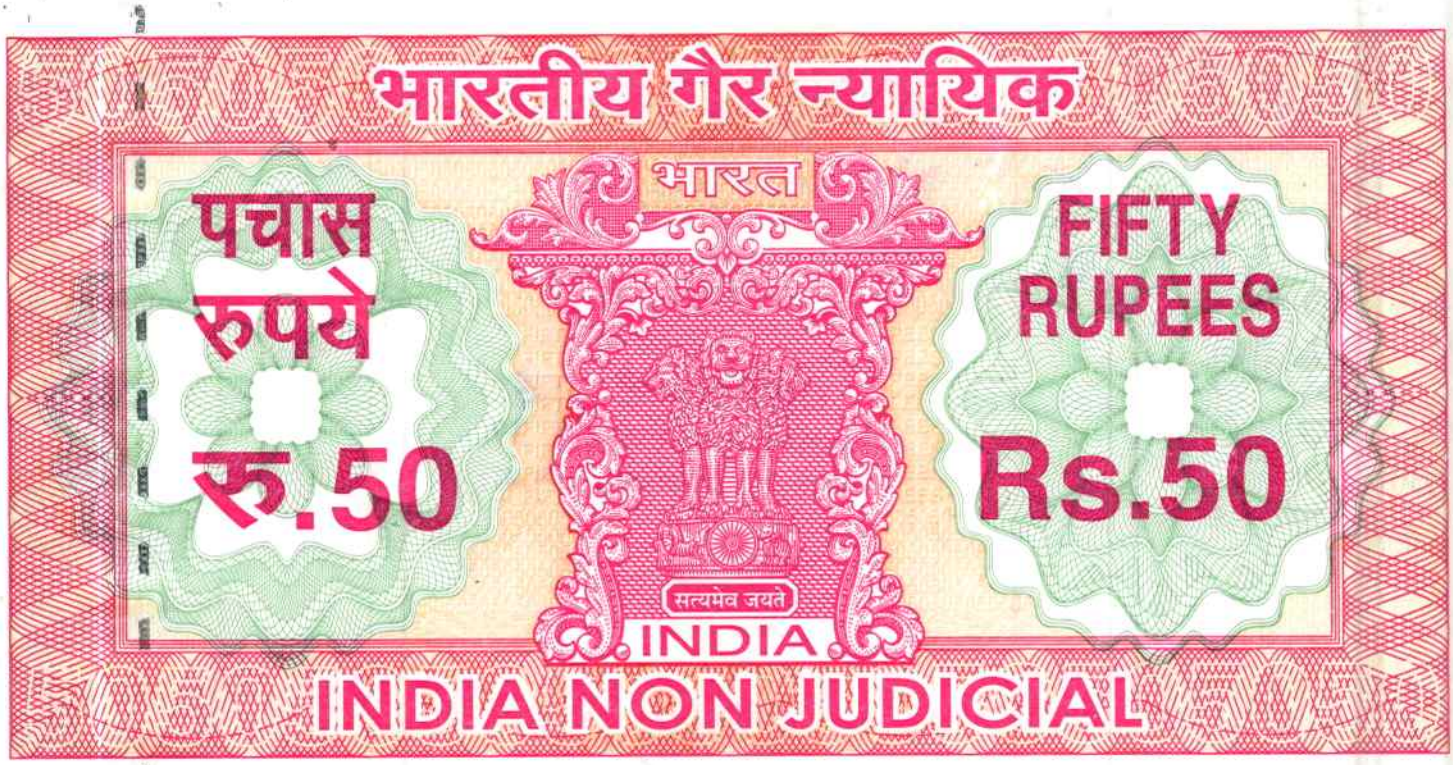
20 JAN 2014

(3)

इस स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत
विवरण के साथ है।

गोरमल देसाई
स्टॉम्प विक्रेता कोड नं. 37
कलेक्टोरेट परिसर तखतगढ़ (म.प्र





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

W 346516

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत है।
विवरण के साथ

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत है।
विवरण के साथ

11866

20 JAN 2014

(10)

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत
विवरण के साथ है।

गोरधन देसाई
स्टॉम्प विक्रेता कोड नं. 37
कलेक्टोरेट प्रांगण देवास (म.प्र.)





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 022300 A 022300

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत है।
विवरण के साथ

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत है।
विवरण के साथ

11867

(11)

20 JAN 2014

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत है।
विवरण के साथ

जिला कोषालय मुद्रांक शाखा
20 JAN 2014
सहायक कोषालय अधिकारी
मुद्रांक शाखा देवास (म.प्र.)

गौरव ते देसाई
स्टॉम्प विक्रेता कोड नं. 37
कलेक्टोरेट प्रांगण, देवास (म.प्र.



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

A 022301 A 022301

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत
विवरण के साथ है।

यह स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत
विवरण के साथ है।

11868

(12)

20 JAN 2014

00005

जिला कोषालय मुद्रांक शाखा

20 JAN 2014

सहायक कोषालय अधिकारी
मुद्रांक शाखा देवास (म.प्र.)

स्टाम्प प्रथम पृष्ठ पर अंकीत है।
विवरण के साथ

गोरधन देसाई
स्टॉम्प विक्रेता कोड नं. 37
कलक्टोरेट प्रांगण देवास (म.प्र.

The Office of the Collector Dewas (M.P.)

1992 ख

20/1/14